



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250835
CG-DL-E-22122023-250835

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945

No. 724]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSA 1, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 908(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (तीसवाँ) नियम, 2023 है।

(2) वे 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे;

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में, नियम 12 में-

(i) उप-नियम (1) में, प्रारंभिक भाग में, "2023" अंक के स्थान पर, "2024" अंक रखा जाएगा; "

(ii) उप-नियम (5) में, "2022" अंकों के स्थान पर, "2023" अंक रखे जाएंगे।"

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट 2 में, -

प्रश्न	आईटीआर - 1 सहज	भारतीय आयकर विवरणी [50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले निवासी (साधारण निवासी नहीं होने के अलावा), वेतन, एकल गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) और 5 हजार रुपये तक की कृषि से आय वाले व्यष्टिकों के लिए [ऐसे व्यष्टि के लिए नहीं जो या तो किसी कंपनी में निदेशक हैं या गैर-सूचीबद्ध सामान्य शायरों में निवेश किया है या उन मामलों में जहां टीडीएस 194 एन के अधीन काटा गया है या यदि ईएसओपी पर आयकर स्थगित है) (पात्रता के लिए निर्देश देखें)	निर्धारण वर्ष						
			2	0	2	4	-	2	5

भाग एक साधारण जानकारी																														
(ए1) स्थायी खाता संख्या																														
	(ए2) प्रथम नाम	(ए4) जन्म तिथि								(ए5) आधार नंबर (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार संख्या के लिए पात्र हैं)																				
(ए2क) मध्य नाम																														
(ए3) अंतिम नाम																														
(ए6) मोबाइल नंबर	(ए7) ईमेल पता								पता: (ए8) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक नं. (ए9) परिसर/भवन/गांव का नाम (ए10) सड़क/गली/पोस्ट ऑफिस क्षेत्र/स्थानीयता (ए11) शहर/शहर/जिला (ए12) राज्य (ए13) देश (ए14) पिन कोड																					
(ए15) धारा के अधीन फाइल (टिक) /कृपया निर्देश देखें/	☐ 139(1) नियत तारीख पर या उससे पूर्व, (139 (4) -विलंबित, (139 (5) - संशोधित, (119 (2) (बी) - देरी की माफी के पश्चात								(ए17) रोजगार की प्रकृति - ☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार ☐ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पेंशनभोगी-सीजी ☐ पेंशनर-एसजी ☐ पेंशनर-पीएसयू ☐ पेंशनभोगी-अन्य ☐ अन्य (लागू नहीं (जैसे कुटुंब पेंशन आदि)																					
(अ16) या धारा के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153सी																													
(ए18) यदि संशोधित/ दोषपूर्ण है, तो रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख दर्ज करें। (तिथि/माह/वर्ष)																														
(ए19) यदि धारा 139 (9)/142 (1)/148/153सी के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया जाता है या धारा 119 (2) (बी) के अधीन आदेश दिया जाता है - यूनीक संख्या / दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) और ऐसे नोटिस या आदेश की तारीख दर्ज करें																														
(ए20) क्या आप नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के लिए धारा 115 खकग(6) के अधीन विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं? (डिफॉल्ट "नहीं" है) ☐ हाँ ☐ नहीं																														
(ए21) क्या आप धारा 139 (1) के सातवें परंतुक के अधीन आयकर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आपको आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं है? - (टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति को धारा 139 (1) के अधीन आय का विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा न हो, लेकिन धारा 139 (1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय का विवरणी फाइल करना हो]]																														
(i) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है! (हां नहीं)																		धनराशि (रु) (यदि हाँ)												
(ii) क्या आपने पिछले वर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रु.रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है। (हां नहीं)																		धनराशि (रु) (यदि हाँ)												
(iii) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)																		(टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं												

भाग बी सकल कुल आय					
केवल पूरा रुपया (₹)					
बी1	i	सकल वेतन (iक + iख + iग+iघ+iङ)			i
वेतन/पेंशन		क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक	
		ख	धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	iख	
		ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग	
		घ	धारा 89ए के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय (देश ड्रॉप डाउन ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाएगा)	iघ	
		ङ	धारा 89ए के अधीन अधिसूचित देश के अलावा किसी अन्य देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ	
	ii	धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन) (सुनिश्चित करें कि यह वेतन आय में सम्मिलित है) 17(1)/17(2)/17(3))			ii
	iiक	घटाएँ: धारा 89ए के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय			iiक
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii-iiक)			iii
	iv	धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख + ivग)			iv
		क	धारा 16 (iए) के अधीन मानक कटौती	ivक	
		ख	16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख	
		ग	धारा 16(iii) के अधीन व्रतिक कर	ivग	
v	'वेतन' मद के अधीन प्रभारित आय (iii - iv)			बी1	
बी2	लागू विकल्प पर टिक करें ☐ स्व-कब्जे ☐ किराए पर ☐ किराए पर समझा गया				
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य			i
	ii	स्थानीय प्राधिकारियों को कर का भुगतान किया गया	ii		
	iii	वार्षिक मूल्य (i - ii)			iii
	iv	वार्षिक मूल्य का 30%	iv		
	v	उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज	v		
	vi	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अप्राप्त किराया 30% से कम	vi		
	vii	गृह संपत्ति ' (iii - iv - v) + vi (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) के अधीन प्रभारित आय टिप्पण: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपये है। अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -2 का उपयोग करें			बी2
बी3	अन्य स्रोतों से आय (बचत खाते, जमा आदि से ब्याज जैसे बचत खाते, जमा आदि को ई-फाइलिंग उपयोगिता में आय की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए प्रदान किया जाना है और धारा 89 ए के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए लाभांश आय और सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में, धारा 234 ग से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें)			बी3	
	कम: धारा 57 (ii ए) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)				
	कम: धारा 89ए के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय				

बी4	सकल कुल आय (ख1 + ख2 +ख3) (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) टिप्पण: अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -2 का उपयोग करें								बी4	
भाग सी - कटौती और कर योग्य कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देश देखें)										
80ग	80गगग	80गगघ(1)	80गगघ(1ख)	80गगघ(2)	80गगज	80घ (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	80घघ (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	80घघख (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	80ड	80डड
80डडक	80डडख	80छ (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	80छछ	80छछक (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	80छछग (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	80ननक	80ननख	80प (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती	
कुल कटौती					ग1			कुल आय (बी4-ग1)		ग2
रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए आय से छूट					ई-फाइलिंग उपयोगिता में छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और धारा का उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए					

भाग डी - देय कर की गणना									
घ1	कुल आय पर देय कर		घ2	धारा 87ए के अधीन छूट		घ3	छूट के पश्चात कर		
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ डी 3 पर 4%		घ5	कुल कर और उपकर		घ6	धारा 89 के अधीन राहत (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए प्ररूप 10 ई जमा करना सुनिश्चित करें)		
घ7	धारा 234अ के अधीन ब्याज		घ8	धारा 234बी के अधीन ब्याज		घ9	धारा 234 सी के अधीन ब्याज		
घ10	234घ के अधीन शुल्क		घ11	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 - घ6)					
घ12	भुगतान किए गए कुल कर		घ13	देय राशि (घ11-घ12) (if घ11>घ12)		घ14	प्रतिदाय (घ12-घ11) (if घ12>घ11)		
भाग ड - अन्य जानकारी									
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)									
क्र. सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम			खाता संख्या		खाते का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा प्रदान किया जाने		धनवापसी उधार के लिए खाते का चयन करें

				वाला ड्रॉपडाउन)	
I					
1. उधार प्रतिदाय के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए। 2. प्रतिदाय के मामले में, उधार प्रतिदाय के लिए कई खातों का चयन किया जाता है, फिर विवरणी को संसाधित करने के पश्चात प्रतिदाय सीपीसी द्वारा तय किए गए खाते में से एक में जमा किया जाएगा।					

		अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर भुगतान का अनुसूची-आईटी विवरण													
		बीएसआर कोड				जमा करने की तारीख (ता/माह/वर्ष)				चालान का सीरियल नंबर				कर का भुगतान	
		स्तंभ (1)				स्तंभ (2)				स्तंभ (3)				स्तंभ (4)	
आर1															
आर 2															
		टीडीएस/टीसीएस का अनुसूची-टीडीएस विवरण [कटौतीकर्ता/नियोक्ता/भुगतानकर्ता/कलेक्टर (ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16/16ए/16सी/27डी के अनुसार]													
	कटौतीकर्ता/कलेक्टर का टैन या किरायेदार की पैन/आधार संख्या।	कटौतीकर्ता/कलेक्टर/किरायेदार का नाम				सकल भुगतान/प्राप्ति जो कर कटौती/संग्रह के अधीन हो।				कर कटौती/संग्रहण का वर्ष		कर की कटौती/संग्रहण		इस वर्ष दावा किए गए (5) में से टीडीएस/टीसीएस उधार	
	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)				स्तंभ (4)				स्तंभ (5)		स्तंभ (6)		स्तंभ (7)	
टी 1															
टी 2															

सत्यापन

प्राप्तकर्ता पदधारी की स्टाम्प रसीद संख्या, मुहर, तारीख और हस्ताक्षर

मैं,..... पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं के प्ररूप में अपनी क्षमता में यह विवरणी दे रहा हूँ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाने वाला ड्रॉप डाउन) और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मेरे पास स्थायी खाता संख्या है। (कृपया निर्देश देखें)।

तारीख:

हस्ताक्षर:

। यदि विवरणी कर विवरणी तैयार करने वाले (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो नीचे और विवरण दें:

टीआरपी की पहचान संख्या	टीआरपी का नाम	टीआरपी के काउंटर हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति की हकदार है, तो उसकी राशि		

(ii) प्ररूप आईटीआर -4 सुगम के लिए, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्रश्न	आईटीआर -4 सुगम	भारतीय आयकर विवरणी [50 लाख रुपये तक कुल आय वाले निवासी व्यष्टिकों, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी के अलावा) और व्यवसाय और पेशे से हैं, जिसकी गणना धारा 44एडी, 44एडीए या 44एई के अधीन की जाती है। [ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो या तो किसी कंपनी में निदेशक हैं या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है या यदि ईएसओपी पर आयकर स्थगित है या जिसकी कृषि आय 5000 रुपये से अधिक है] (कृपया पात्रता के लिए निर्देश देखें)	निर्धारण वर्ष						
			2	0	2	4	-	2	5

भाग एक साधारण जानकारी									
(ए1) प्रथम नाम		(ए2) मध्य नाम			(ए3) अंतिम नाम			(ए4) स्थायी खाता संख्या	
(ए5) जन्म तिथि/ गठन (ता./माह/वर्ष)					(ए6) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक नं..				
(ए7) परिसर/भवन/गांव का नाम					(ए8) सड़क/गली/पोस्ट ऑफिस			(ए9) क्षेत्र/स्थानीयता	
(ए10) शहर/शहर/जिला					(ए11) राज्य		(अ12) देश		(ए13) पिन कोड/ज़िप कोड
(ए14) आधार नंबर (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार संख्या के लिए पात्र हैं.)					(ए15) प्रास्थिति व्यष्टि ☐ एचयूएफ ☐ फर्म (एलएलपी के अलावा) ☐				
(ए16) एसटीडी कोड/मोबाइल नंबर 1 के साथ आवासीय/कार्यालय फोन नंबर					(ए17) मोबाइल नंबर 2			(ए18) ईमेल पता -1 (स्वयं)	
								ईमेल पता -2	
(ए19) रोजगार की प्रकृति - ☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार ☐ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ☐ पेंशनभोगी-सीजी ☐ पेंशनभोगी-एसजी ☐ पेंशनर-पीएसयू ☐ पेंशनभोगी-अन्य ☐ दूसरों ☐ लागू नहीं (उदा. कुटुंब पेंशन आदि.)									
(ए20)(क) यू/एस द्वारा फाइल (टिक) [कृपया निर्देश देखें]-					☐ 139(1)- नियत तारीख पर या उससे पूर्व, ☐ 139(4)- नियत तारीख के पश्चात, ☐ 139(5)- संशोधित विवरणी, ☐ 119(2)(ख)- देरी की माफी के पश्चात				
(ख) या धारा के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया					☐ 139(9) ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153ग				
(ए21) यदि संशोधित/दोषपूर्ण है तो रसीद संख्या दर्ज करें। और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (ता./माह/वर्ष)					/ /				
(ए22 यदि धारा 139 (9) / 142 (1)/148/153 सी के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया जाता है या धारा 119 (2) (बी) के अधीन आदेश दिया जाता है - विशिष्ट संख्या/दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) और ऐसे नोटिस या आदेश की तारीख दर्ज करें।					/ /				
(ए23) क्या आपने धारा 115 खकग(6)के अधीन नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का उपयोग किया है? (डिफॉल्ट "नहीं" है) ☐ नहीं ☐ हां, नियत तारीख के भीतर ☐ हां, लेकिन नियत तारीख से परे (यदि 'नहीं' के अलावा अन्य विकल्प चुना जाता है, तो कृपया प्ररूप 10-आईईए की फाइलिंग की तारीख और पावती संख्या प्रस्तुत करें) टिप्पण- इससे बाहर निकलने के लिए, धारा 139 (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए।									
(ए24) क्या आप धारा 139 (1) के सातवें परंतुक के अधीन आयकर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आपको आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं है? (फर्म के मामले में लागू नहीं) - (टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की गई निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति को धारा 139 (1) के अधीन आय का विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा न हो, लेकिन धारा 139 (1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय का विवरणी फाइल करना होगा।									
(i) क्या पिछले वर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में आपने 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि जमा की है ? (हां नहीं)					राशि (रुपये) (यदि हां)				
(ii) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है ? (हां /नहीं)					राशि (रुपये) (यदि हां)				

(iii) क्या आपने पिछले वर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रु रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है ? (हां/नहीं)	राशि (रुपये) (यदि हां)
(iv) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप-डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)	(टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं
(ए25) क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि द्वारा फाइल किया जा रहा है ? (टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं (यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें)-	
(1) प्रतिनिधि का नाम	
(2) प्रतिनिधि की क्षमता	
(3) प्रतिनिधि का पता	
(4) प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/आधार नंबर	

भाग बी सकल कुल आय				
केवल पूरे- रुपया (₹)				
बी 1	व्यवसाय और पेशे से आय (टिप्पण-अनुसूची बीपी के ई 8 से मूल्य दर्ज करें)			बी1
बी 2	i सकल वेतन (ik+ix+ig+id) _			i
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	ik	
	ख	धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	ix	
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	ig	
	घ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय (देश ड्रॉप डाउन ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाएगा)	id	
	ड	धारा 89ए के अधीन अधिसूचित देश के अलावा किसी अन्य देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	id	
	ii	धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन) [सुनिश्चित करें कि यह 17 (1)/17 (2)/17 (3) के अधीन वेतन आय में सम्मिलित है।]	ii	
	iiअ	घटाएँ: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय	iiअ	
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii-ik)	iii	
	iv	धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख+ivग)	iv	
	क	धारा 16(आईए) के अधीन एक मानक कटौती	ivक	
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख	
	ग	धारा 16(iii) के अधीन व्यावसायिक कर	ivग	
	v	वेतन' शीर्षक के अधीन प्रभारित आय (iii - iv) (टिप्पण - "अनुसूची टीडीएस1" भरना सुनिश्चित करें)		बी2
बी3	लागू विकल्प पर टिक करें स्वतः कब्जा ☐ किराए पर ☐ किराए पर समझा गया जाए ☐			
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य		i
	ii	स्थानीय अधिकारियों को भुगतान किया गया कर	ii	
	iii	वार्षिक मूल्य (I - II)		iii
	iv	वार्षिक मूल्य का 30%	iv	
	v	उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज	v	
	vi	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अवसूल किराया 30% से कम	vi	
	vii	'गृह संपत्ति' (iii - iv - v) + vi (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपए है। अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।		बी 3

बी4	आय की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली बचत खाते, जमा आदि से ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से आय में कमी आती है और धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए लाभांश और सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में, धारा 234ग टिप्पण से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें- यदि लागू हो तो "एसएच टीडीएस 2" भरें।	बी4	
	कम: धारा 57 (ii) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)		
	कम: धारा 89ए के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय		
बी5	सकल कुल आय (बी1 + बी 2 + बी 3 + बी 4) नुकसान के सेट और आगे बढ़ने का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।	बी5	

भाग ग- कटौती और कर योग्य कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देशों को देखें)								
ग1	80ग		ग2	80गग		ग3	80गगघ (1)	
ग4	80गगघ (1ख)		ग5	80गगघ (2)		ग6	80घ	ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रॉप डाउन में भरे जाने वाले विवरण प्रदान किए जाने हैं
ग7	80घघ	ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रॉप डाउन में भरे जाने वाले विवरण प्रदान किए जाने हैं	ग8	80घघख	ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रॉप डाउन में भरे जाने वाले विवरण प्रदान किए जाने हैं	ग9	80ड	
ग10	80डड		ग11	80डडक		ग12	80डडख	
ग13	80छ	ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रॉप डाउन में भरे जाने वाले विवरण प्रदान किए जाने हैं	ग14	80छछ		ग15	80छछग (विवरण ई-फाइलिंग यूटिलिटी में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	
ग16	80ननक		ग17	80ननख		ग18	80प	ड्रॉप डाउन में भरे जाने वाले विवरण ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने हैं
ग18क	80गगज		ग18ख	ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती				
ग19	कुल कटौतियां (ग1 से ग18ख तक मद जोड़ें)							ग19
	ग20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)					ग20	

भाग घ - कर गणना और कर की स्थिति		
घ1	कुल आय पर देय कर (ग20)	घ1
घ2	87क पर छूट	घ2
घ3	छूट के पश्चात् देय कर (घ1-घ2)	घ3
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ [(घ3) का 4%]	घ4
घ5	कुल कर, और उपकर (घ3 + घ4)	घ5
घ6	धारा 89 के अधीन अनुतोष (कृपया इस अनुतोष का दावा करने के लिए प्ररूप 10 ड जमा करना सुनिश्चित करें)	घ6
घ7	अनुतोष के पश्चात् शेष कर (घ5 - घ6)	घ7

घ8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ8
घ9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ9
घ10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ10
घ11	धारा 234च के अधीन फीस	घ11
घ12	कुल कर, फीस और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ12
घ13	कुल अग्रिम कर का संदाय	घ13
घ14	कुल स्व-निर्धारण कर का संदाय	घ14
घ15	कुल दावाकृत टीडीएस (अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग)	घ15
घ16	कुल संगृहीत टीसीएस (अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल)	घ16
घ17	संदाय किए गए कुल कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ17
घ18	देय रकम (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ18
घ19	प्रतिदाय (घ17 - घ12, यदि घ17 > घ12)	घ19
घ20	केवल रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आय से छूट (यदि कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है, तो आईटीआर 3/5 का उपयोग करें) (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, प्रासंगिक खंड और धारा का उल्लेख करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली ड्रॉप डाउन)	घ20

टिप्पणी	घ21	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)				
	क्र.सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक खाते का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा प्रदान किया जाने वाला)	प्रतिदाय जमा के लिए खाते का चयन करें
	i					
	ii					
1. प्रतिदाय जमा के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए। 2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय जमा के लिए कई खातों का चयन किया जाता है, तब विवरणी को प्रक्रियागत करने के पश्चात् सीपीसी द्वारा निश्चित किए गए खाते में प्रतिदाय जमा किया जाएगा।						

अनुसूची बीपी - व्यवसाय या वृत्ति से आय का विवरण					
धारा 44कघ के अधीन अनुमानित व्यावसायिक आय की गणना					
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम		व्यवसाय कोड		विवरण:
(i)					
ड1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां (ड1 2 करोड़ रु. तक सीमित है, तथापि यदि ड1ख, ड1 के 5% से कम या बराबर है तो ड1 के अधीन सीमा 3 करोड़ रु. तक बढ़ा दी जाती है।				
	क	आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से		ड1क	
	ख	नकद में प्राप्तियां		ड1ख	
	ग	क और ख के अलावा कोई अन्य मोड		ड1ग	
ड2	धारा 44कघ के अधीन अनुमानित आय				
	क	ड1क का 6% या अर्जित की गई रकम, जो भी अधिक हो,		ड2क	
	ख	(ड1ख +ड1ग) का 8% या अर्जित की गई रकम का दावा किया गया है, जो भी अधिक हो।		ड2ख	
	ग	कुल (क + ख)		ड2ग	
	टिप्पण- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत से कम है, तो 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है और लागू अन्य आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।				
धारा 44कघक के अधीन व्यवसायों से अनुमानित आय की गणना					
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम		व्यवसाय कोड		विवरण:
(i)					
ड3	सकल प्राप्तियां (ड3 50 लाख रु.तक सीमित है, तथापि यदि ड3ख ड3 के 5% से कम या बराबर है तो ड3 के अधीन सीमा 75 लाख रुपये तक बढ़ा दी जाती है।				ड3
	क	आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से		ड3क	

	ख	नकद में प्राप्तियां			ड3ख	
	ग	क और ख के अलावा कोई अन्य मोड			ड3ग	
ड4	धारा 44कघक के अधीन अनुमानित आय (ई 3 का 50%) या अर्जित की गई रकम, जो भी अधिक हो। टिप्पण- यदि आय सकल प्राप्तियों के 50% से कम है, तो 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है और लागू अन्य आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।				ड4	
धारा 44कड के अधीन माल गाड़ियों से अनुमानित आय की गणना						
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम			व्यवसाय कोड	विवरण:	
(i)						
	माल गाड़ियों की रजिस्ट्रीकरण संख्या	चाहे स्वामित्व/ पट्टे पर लिया गया हो / किराए पर लिया गया हो	माल ढुलाई की टन क्षमता (मीट्रिक टन में)	उन महीनों की संख्या जिनके लिए मालगाड़ी का स्वामित्व/पट्टे/निर्धारित द्वाारा किराए पर लिया गया था	माल ढुलाई के लिए धारा 44कड के अधीन अनुमानित आय (12 मीट्रिक टन से अधिक टन भार होने पर प्रति माह @ 1000 रुपये प्रति टन या फिर @ 7500 रुपये प्रति माह) या वास्तव में अर्जित करने का दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(क)						
(ख)						
आवश्यकतानुसार पंक्ति विकल्प जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय यानों की संख्या 10 यानों से अधिक नहीं होनी चाहिए)'						
ड5	धारा 44कड [स्तंभ (5)] के अधीन माल ढुलाई से अनुमानित आय टिप्पण- यदि लाभ धारा 44 कड के अधीन निर्धारित से कम है या किसी भी समय स्वामित्व वाले यानों की संख्या 10 से अधिक है, तो अन्य आईटीआर, जैसा भी लागू हो, दाखिल करना होगा।				ड5	
ड6	भागीदारों को संदाय किया गया वेतन और ब्याज टिप्पण - यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाना है				ड6	
ड7	44कड के अधीन अनुमानित आय (ड5-ड6)				ड7	
ड8	'व्यवसाय या वृत्ति ' (ड2ग + ड4 + ड7) शीर्ष के अधीन प्रभारित आय				ड8	
जीएसटी के लिए सूचित कारोबार/सकल प्राप्त के बारे में जानकारी टिप्पण - कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए नीचे दी गई जानकारी पृथक से प्रस्तुत करें।						
ड9	जीएसटीआईएन संख्या (संख्याएं).				ड9	
ड10	फाइल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी आपूर्ति का वार्षिक मूल्य				ड10	
व्यवसाय का वित्तीय विवरण टिप्पण- ड11 से ड25 के लिए 31 मार्च, 2024 तक की जानकारी प्रस्तुत करें।						
ड11	भागीदारों / सदस्यों की अपनी पूंजी				ड11	
ड12	सुरक्षित ऋण				ड12	
ड13	असुरक्षित ऋण				ड13	
ड14	अग्रिम				ड14	
ड15	विविध लेनदार				ड15	
ड16	अन्य दायित्व				ड16	
ड17	कुल पूंजी और दायित्व (ड11 + ड12 + ड13 + ड14 + ड15 + ड16)				ड17	
ड18	अचल संपत्तियां				ड18	
ड19	सूची				ड19	
ड20	विविध देनदार				ड20	
ड21	बैंकों के साथ शेष रकम				ड21	
ड22	कैश-इन-हैंड				ड22	
ड23	ऋण और अग्रिम				ड23	

ड24	अन्य संपत्तियां	ड24	
ड25	कुल संपत्ति (ड18+ड19+ड20+ड21+ड22+ड23+ड24)	ड25	
टिप्पण ▶	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें (ड15, ड19, ड20, ड22 अनिवार्य हैं और अन्य यदि उपलब्ध हैं)		

अनुसूची आईटी अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर संदाय का विवरण

	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (ता/मा/वर्ष)	चालान नं.	कर का संदाय
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)
द1				
द2				
द3				
टिप्पण ▶	घ 13 और घ 14 में अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर के योग दर्ज करें			

स्रोत पर एकत्र किए गए कर का टीसीएस विवरण [कलेक्टर (ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]					
क्र.सं.	संग्रहकर्ता का कर संग्रहण खाता संख्यांक	संग्रहकर्ता का नाम	प्ररूप 26 कथ में उल्लिखित संदाय की गई रकम का विवरण	कर संग्रह	दावा की जा रही (4) रकम में से
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
टिप्पण ▶	कृपया घ 16 में अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल योग दर्ज करें				

अनुसूची टीडीएस-1 वेतन से स्रोत पर काटे गए कर का विवरण

[नियोक्ता द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार]

	टैन	नियोक्ता का नाम	वेतन के अधीन आय	कर में कटौती
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)
S1				
S2				
S3				
टिप्पण ▶	घ 15 में अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग दर्ज करें			

अनुसूची टीडीएस-2 वेतन के अलावा अन्य आय पर स्रोत पर काटे गए कर का विवरण :								
[जारी किए गए प्ररूप 16 क या प्ररूप 16 ग या प्ररूप 16 घ के अनुसार कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है]								
क्र.सं.	कटौतीकर्ता का टेन / किराएदार का पेन /आधार संख्या	अग्रेषित बिना दावे वाला टीडीएस (ख/ग)		चालू वित्त वर्ष का टीडीएस	इस वर्ष टीडीएस जमा का दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष कर के लिए संबंधित रसीद की पेशकश की जा रही है, यदि टीडीएस धारा 194 ड के अधीन काटा जाता है तो लागू नहीं होता है)	तदनुरूपी प्राप्ति/निकासी की पेशकश		टीडीएस जमा को अग्रणीत किया जा रहा है
		वित्त वर्ष जिसमें कटौती की जाती है	अग्रेषित टीडीएस	टीडीएस कटौती	टीडीएस का दावा	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								
टिप्पण घ15 में अनुसूची टीडीएस 2 के स्तंभ 6 और अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 की कुल संख्या दर्ज करें								

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____ अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं यह और घोषण करता/करती हूँ कि मैं मेरी _____ की हैसियत से (ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्राप डाउन प्रदान किया जाए) विवरणी प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को प्रस्तुत करने और सत्यापन करने के लिए भी समर्थ हूँ। मैं स्थायी खाता संख्यांक _____ धारक हूँ। (कृपया निर्देश देखें)

यहाँ हस्ताक्षर करें➡

स्थान: तारीख:

यदि विवरणी एक टैक्स विवरणी तैयार करने वाले (टीआरपी) द्वारा तैयार की गई है, तो निम्नानुसार और ब्यौरे दें:									
टीआरपी पिन (10 अंक)								टीआरपी का नाम	
टीआरपी को संदत्त की जाने वाली रकम								टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर	

[अधिसूचना सं.105/2023/फा. सं. 370142/45/2023-टीपीएल (भाग-1)]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 900 तारीख 19 दिसंबर, 2023 द्वारा किया गया।